

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3363 / 2024

सेणीदान

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. कमल सिंह भाटी, जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यालय, बाड़मेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.11.2024

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, राजकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री आशीष सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी के पद पर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यालय बाडमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेल्वे कुआं नं. 3 बाडमेर से जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, बाडमेर किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के

उद्देश्य से अपीलार्थी को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेशों के प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये कार्यमुक्त किया गया। उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद उच्च स्तर से बिना कोई सहमति/अनुमोदन के आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का किसी भी सक्षम अधिकारी ने स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया है और इस प्रकार केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी को अनुचित रूप से समायोजित करने के आशय से जारी किया गया है। जबकि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17008/2024 मनोहर सिंह भाटी बनाम माध्यमिक शिक्षा एवं 17079/2024 राजन सिंह भाटी बनाम माध्यमिक शिक्षा में स्थगन आदेश जारी किये गये हैं और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील उक्त तर्कों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 व 18.10.2024 को अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है तथा अपीलार्थी के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में नवीन कार्मिक को आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है और प्रतिनियुक्ति एवं स्थानांतरण पूर्णतः भिन्न-भिन्न प्रक्रिया है, जिसमें स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के प्रावधान लागू नहीं है। अपीलार्थी को लगभग 3 वर्ष का समय भी पूर्ण हो चुका है और इस प्रकार अपील माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा याचिका संख्या 1058/2012 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार में पारित अभिमत दिनांक 27.08.2012 के अनुसरण में खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रधानाचार्य संवर्ग से जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी के पद पर भेजा गया था और आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा उसे प्रतिनियुक्त किया गया था, परंतु आदेश

दिनांक 17.10.2024 एवं 18.10.2024 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को निरस्त करते हुये उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के संबंध में हम पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्ति एवं अन्यत्र पदस्थापन करने का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिकरण ने ऐसे प्रकरणों जिनमें किसी कार्मिक का अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन किए बिना अन्य कार्मिक को उसके स्थान पर पदस्थापित किया है, में यह आदेशित किया है कि ऐसे आदेश की अनुपालना में उस कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे जब तक कि उसके पदस्थापन के संबंध में सक्षम स्तर से आदेश प्रसारित नहीं हो जाते।

इस प्रकरण में भी अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 20.11.2024 को निम्न अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है :-

“स्थगन प्रार्थना-पत्र पर यह अन्तरिम आदेश दिये जाते हैं कि विवादग्रस्त आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 18.10.2024 (अनुलग्नक-1 एवं 2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।”

हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी के संबंध में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उसके पदस्थापन संबंधी कोई आदेश जारी होना नहीं पाया जाता है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के संबंध में भी कोई निर्देश नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करना सेवाविधि के विरुद्ध है। हम यह भी पाते हैं कि आलोच्य आदेश में अनेक लोक सेवक जो पहले के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, के स्थान पर अन्य को प्रतिनियुक्ति पर लगाया है परन्तु पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोक सेवकों के संबंध में कोई निर्देश अंकित नहीं है जो यह दर्शाता है कि बिना समुचित परीक्षण के एवं समस्त तथ्यों पर विचार/विवेचन किए बिना एवं बिना विवेक का प्रयोग करते हुये आलोच्य आदेश जारी किया गया है। विभाग में समुचित समन्वय एवं प्रक्रिया के पालना के अभाव को

दर्शाता है। इस प्रकार उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाती है एवं आदेश दिनांक 09.10.2024 की पालना में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2024 (अनुलग्नक-2) को अपास्त फरमाया जाता है तथा अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.11.2024 को पुष्ट (Confirm) किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में नियमानुसार आदेश जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिस पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)